

आदेश

हल्का पटवारी आई.एल.आर. की रिपोर्ट पर की जांच पश्चात तहसीलदार फागी की जांच व अनुशंसा के पश्चात ग्राम पौरा 3तर के खाता सं. 457 खसरा नं. — में आवेदन पत्र अनुसार रुद्रनाथ सिंह पुत्र ममानाथ के 3-खत पर यदि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार फागी को प्रति भिजवाकर लेख है कि यदि किसी अन्यत्र न्यायालय का स्थगन अथवा वाद विचाराधीन नहीं होने की जांच कर आदेश की पालना सुनिश्चित करें। आदेश के मु. श्री श्री गेवा शिवर के मु. ग्राम पंचायत पौरा 3तर में दिनांक 20/09/25 को मजमेआम में सुनाया गया।

20/9/25
उपखण्ड अधिकारी
फागी

